HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1169/2022

Khushal Kumawat Son Of Shri Mohan Lal Kumawat

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan & Anr.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rakesh Chandel
For Respondent(s)	:	Mr. B.S.Sharma, PP Mr. Manish Kimawat

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/07/2023

यह पुनरीक्षण याचिका निगराकार/परिवादी की ओर से उसका प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने सम्बन्धी पारित आदेश दिनांक 06.06.2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

गैर–निगराकार संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मूल आपराधिक प्रकरण में विचारण पूर्ण होकर प्रकरण का निर्णय किया जा चुका है। उनका तर्क है कि पूर्व में भी गैर–निगराकार संख्या–2 मदनलाल को आरोपों से उन्मोचित कर दिया था एवं उसके विरूद्ध प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका भी निरस्त हो चुकी है। अतः धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अब उसे अभियुक्त के रूप में संयोजित नहीं किया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार द्वारा उठाई गई इन दोनों विधिक आपत्तियों पर निगराकार के विद्वान अधिवक्ता विधि के प्रावधान दर्शित करने के लिए समय चाहते हैं।

प्रकरण दिनांक 17.08.2023 को सूचीबद्ध हो।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL/104